न्यायालय : षष्ठम् अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)
(समक्ष–के0के0 मिश्रा)

MACC No.	3229/2022
CNR No	MP20010211082022
Filing No.	5587/2022
Date Of Filing	23-06-2022

नारायण सिंह पटेल पिता बलीराम पटेल
उम्र 43 वर्ष, निवासी–शंकर नगर सुहागी
अधारताल तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.)

...............**आवेदक**

// विरुद्ध //

1. श्रीराम सिंह पटेल पिता नेतराज पटेल
निवासी–ग्राम पिपरिया पो. लथगांव
गोटेगांव, जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)
(चालक कार क्र.MP-20-CH/6304)
2. कृष्णपाल पटेल पिता देवी सिंह पटेल
निवासी–ग्राम उमरिया, तहसील पाटन
जिला–जबलपुर (म.प्र.)
(मालिक कार क्र.MP-20-CH/6304)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता–एम.आर. फोर रोड, विजय नगर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)
(बीमा कंपनी कार क्र.MP-20-CH/6304)

.............**अनावेदकगण**

....

आवेदक द्वारा : श्री आर.आर. पटेल अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा : एकपक्षीय।
अनावेदक क्र. 03 द्वारा : श्री नितिन महाजन अधिवक्ता।

(K.K.Mishra)
VI-th-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

–:: अधिनिर्णय ::–

(आज दिनांक 29/07/2026 को पारित)

01. आवेदक ने यह दावा अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 16.01.2022 को वाहन कार क्रमांक MP-20 CH/6304 से कारित दुर्घटना में आवेदक/आहत को आई चोटों के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्तः अथवा पृथक–पृथक रूप से बतौर प्रतिकर 10,80,000/–रुपये क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना 16.01.2022 समय 03:30 बजे दिन को आवेदक, पुरूषोत्तम पटेल को मोटर साइकिल में पीछे बिठालकर ग्राम हाथीखार जयराम पटेल की तेरहवी कार्यक्रम में शामिल होने मोटर साइकिल को अपनी रोड की साइड से सड़ किनारे–किनारे से चलाकर जा रहा था, जैसे ही ग्राम भारतपुर हाथीखदार के बीच पहुंचा, उसी समय कार क्रमांक MP-20 CH/6304 के चालक अनावेदक क्र0–1 द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आवेदक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आवेदक के कंधे में फ्रैक्चर एवं पैर के घुटने में फ्रैक्चर, हाथ, पैर में गंभीर चोट व शरीर के विभिन्न भागों में गंभीर प्रकृति की चोटें आयी। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा आवेदक को इलाज के लिये महाकौशल अस्पताल जबलपुर ले जाया गया, जहॉ पर आवेदक का प्राथमिक उपचार तथा आवेदक को आयी चोटों का परीक्षण कर एक्सरे आदि किया गया, जिसमें आवेदक के कंधे में फ्रैक्चर एवं पैर के घुटने में फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन कर प्लेट डाली गई एवं हाथ व पैर में गंभीर चोटें व शरीर के विभिन्न भागों में

गंभीर प्रकृति की चोटें होने पर उनका नियमित इलाज किया गया तथा आवेदक ने अपना इलाज अन्य प्राइवेट अस्पताल में भी कराया। आवेदक का वर्तमान में 3,50,000/-रूपये व्यय हो गया है तथा वर्तमान में इलाज जारी है तथा भविष्य में इलाजरत् रहने की संभावना है। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना चरगवां को दी गई, जिस पर अपराध क्र0-18/2022 भा.द.वि. की धारा 279, 337 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

03. आवेदक की ओर से अपने दावे में यह भी अभिवचन किये गये हैं कि घटना के पूर्व आवेदक हष्ट पुष्ट एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति होकर किसी रोग व बीमारी से पीड़ित नहीं था तथा राजमिस्त्री का कार्य कर 9000/-रूपये प्रतिमाह आय अर्जित कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था, किन्तु उक्त दुर्घटना घटित हो जाने से आवेदक के कंधे में फ्रैक्चर एवं पैर के घुटने में फ्रैक्चर होने से स्थायी विकलांगता कारित हुई है। आवेदक को आयी चोटों के कारण अपना दैनिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है। आवेदक ने घटना में आयी चोटों के दौरान अपने दैनिक क्रियाकलापों एवं देखरेख हेतु एक सहायक को रखा, जिसे 2500/-रूपये मासिक भुगतान किया। आवेदक को आयी चोटों के इलाज में अत्यधिक रूपये खर्च होने के कारण आवेदक की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है, जिससे आवेदक व उसके परिवार को काफी मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आवेदक, अनावेदकगणों से क्षतिपूर्ति राशि 10,80,000/-रूपये 12 प्रतिशत ब्याज पाने का संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से अधिकारी है।

(K.K.Mishra)
VIth-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

04. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के उपस्थित न होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

05. **<u>अनावेदक क्र. 03 की बीमा कंपनी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर घोर विरोध कर निम्नलिखित आधार पर बीमा कंपनी के दायित्व को उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया है</u> :–**

1.	वैध एवं प्रभावी अनुज्ञप्ति, परमिट, फिटनेस प्रमाण–पत्र का अभाव।
2.	बीमा पॉलिसी की मूलभूत शर्त का उल्लंघन किया जाना।
3.	उपचार एवं दांडिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जानबूझकर तत्परता से अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना।
4.	आय एवं आयु से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना।
5.	क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए प्रश्नगत् वाहन को प्रकरण में आलिप्त किया जाना।
6	आवेदक की लापरवाही के कारण योगदायी उपेक्षा कारित होना।
7.	दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेखबद्ध कराया जाना।
8.	आयकर अधिनियम की धारा 194–ए (3)(IX), धारा 299–एए के अनुसार पेन कार्ड प्रस्तुत किये जाने पर 10 प्रतिशत एवं पेन कार्ड प्रस्तुत न करने की दशा में 20 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान किया जाना।
9.	अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) का पालन न किया जाना और पुलिस द्वारा दुर्घटना के 30 दिवस के भीतर सूचना कंपनी को न दिया जाना।

06. उभयपक्ष अभिवचन के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके समक्ष निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं। निष्कर्ष के आधार का वर्णन आगामी कंडिकाओं में किया जा रहा है :–

(K.K.Mishra)
VI[th]-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 16.01.2022 को दिन करीब 03:30 बजे ग्राम भारतपुर हाथीखदार के बीच थाना चरगवां में अनावेदक क0–1 ने अनावेदक क0–2 के स्वामित्व के वाहन कार कमांक–MP20/CH-6304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?	**"प्रमाणित"**
2.	क्या दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक नारायण सिंह पटैल को स्थायी विकलांगता कारित हुई ?	**"7% स्थायी विकलांगता' आना प्रमाणित'**
3.	क्या दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क0–1 व 2 द्वारा बीमा पॉलिसी का उल्लंघन कर वाहन को चलाया जा रहा था ?	**"अप्रमाणित"**
4.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो किस अनावेदक से और कतनी राशि ?	**"अधिनिर्णय कंडिका 29 के अनुसार"**
5.	सहायता एवं व्यय ?	**"अधिनिर्णय कंडिका 30 के अनुसार"**

:: निष्कर्ष के आधार ::

वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष एवं उसके आधार :–

07. प्रस्तुत मामला आवेदक के द्वारा अनावेदकगण के विरूद्व मोटर यान अिनियम 1988 की धारा 166 अंतर्गत क्षतिपूर्ति के बाबत् प्रस्तुत की गयी है। समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अनीता शर्मा विरुद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (2021) 1 एस.सी.सी. 171** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का प्रमाणन स्तर क्या होगा :–

(K.K.Mishra)
VI[th]-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

This approach of the High Court is mystifying, especially in light of this Court's observaton as set out in Parmeshwari Vs. Amir Chand, (2011) 11 SCC 635 and reiterated in Mangla Ram Vs. Oriental Insurance Co. Ltd., (2018) 5 S.C.C. 656 that the strict princpled of proof in a criminal case will not be applicable in a claim for compensation under the Act and further, that the standard to be followed in such claims is one of preponderance of probability rather than one of proof beyond reasonable doubt.

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **अनिल तिवारी विरुद्ध साहेब सिंह, 1999 एस.सी.सी. ऑन लाईन म.प्र. 270 : (2000) 1 एम.पी.एल.जे. 59** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि ''दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को कठोरता से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।''

We do not find any force in this argument. these are authenticated copies which were obtained through the Court after payment of necessary charges as deposed by Anil Tiwari (A.W.2), who also proved the receipt Ex. P. 3, evidencing payment of copying charges. That strict proof of these documents is not required in claims cases under the Motor Vehicles Act, is the view which has been consistently taken by Courts. reference may be made to Rajasthan State

Road Transport Corporation Vs. Devilal, 1991 ACJ 230, in which this matter has been dealt in detail.

08. उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा है कि आवेदक पक्ष द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत की गई साक्ष्य किस सीमा तक ग्राह्य है।

09. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में आवदेक नारायण पटेल (आ.सा.–01) अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में व्यक्त करता है कि घटना दिनांक 16.01. 2022 की दिन के करीब साढ़े 3 बजे की है। वह अपनी मोटर साइकिल में परषोत्तम पटेल को पीछे बिठाकर तेरहवी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, जैसे ही भारतपुर हाथी खंदार, थाना चरगवां के पास पहुंचे, तभी कार क्रमांक–MP20/CH-6304 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अपनी कार को उनकी मोटर साइकिल के सामने लाकर अचानक खड़ी कर दिया, जैसे ही वह कार के बाजू से निकल रहा था, तो कार से अचानक ड्राइवर रमासिंह ने गेट खाल दिया, तो कार के गेट की टक्कर लगने से वह मोटर साइकिल सहित रोड पर गिर गया, फिर कार वाला थोडा रूका, तो उसने व उसके साथी पुरूषोत्तम ने कार का नंबर देख लिया था। कार वाले ने उन्हें उठाकर रोड के किनारे बिठाला और वहॉ लोगों को आते देख वह अपनी कार लेकर भाग गया। उसने अस्पताल में घटना कारित वाहन के बारे में बता दिया था, तब अस्पताल द्वारा घटना की सूचना संबंधित थाने को भेजी गई थी। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन उसके साथी पुरूषोत्तम पटेल ने थाना चरगवां में दर्ज कराई थी। अस्पताल से छुट्‌टी के बाद थाना चरगवां में उसके भी कथन लिए गए थे। घटना कार के चालक रमासिंह की गलती व

(K.K.Mishra)
VIth-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

लापरवाही के कारण घटित हुई है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अनावेदक क्र0–3 द्वारा सुझाये गये सभी महत्वपूर्ण सुझवों से इंकार किया है।

10. आवेदक के द्वारा अपने उक्त मौखिक कथनों के समर्थन में थाना चरगवां जिला–जबलपुर के अपराध क्रमांक 0018/2022 धारा 279, 337 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रति प्रदर्श पी.–02 प्रस्तुत की है, जिसमें आवेदक द्वारा वर्णित घटना के संबंध में वाहन कार क्रमांक MP-20 CH-6304 के चालक के विरुद्ध आवेदक को टक्कर मारकर उपहति कारित किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी है। आवेदक के द्वारा उक्त प्रकरण में अन्वेषण के दौरान पुलिस सूचना पत्र प्रदर्श पी–3, कंटीन्यूशन शीट प्रदर्श पी–4 व 5, महाकौशल अस्पताल के इलाज संबंधी दस्तावेज एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 लगायत 8, नारायण के पुलिस कथन प्रदर्श पी–9, साक्षी परषोत्तम के पुलिस कथन प्रदर्श पी–10, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–11, धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–12, धारा 41क का नोटिस प्रदर्श पी–13 तथा उक्त प्रकरण में अन्वेषण उपरांत प्रस्तुत अभियोग–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी.–01 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि थाना चरगवां के द्वारा अपराध क्रमांक 18/2022 के अन्वेषण उपरांत अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 के तहत अभियोग–पत्र सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। थाना चरगवां के द्वारा यह तथ्य भी प्रमाणित पाया है कि दुर्घटना दिनांक 16.01.2022 को दिन करीब 03:30 बजे ग्राम भारतपुर हाथीखदार के बीच थाना चरगवां में अनावेदक क्र0–1 ने अनावेदक क्र0–2 के स्वामित्व के वाहन कार क्रमांक–MP20/CH-6304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की। इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी उसके

द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है।

11. आवेदक के द्वारा व्यक्त तथ्यों के संबंध में न्यायदृष्टांत **"विमलादेवी व अन्य विरुद्ध हिमाचल रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए. सी.जे. 1723 एस.सी"** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटरदावा प्रकरणों में दुर्घटना को केवल संभाविता की सफलता की सीमा तक ही प्रमाणित करना होगा न कि युक्तियुक्त संदेह से परे। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **"नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ बनाम पुष्पाराणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287"** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के समय प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि चालक के द्वारा उपेक्षा बरती गयी। उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि क्लेम प्रकरण में साक्ष्य का मूल्यांकन अधिसंभावनाओं के बाहुल्य के आधार पर किया जाना चाहिए और आपराधिक मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को प्रमाणित किये जाने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। न्यायदृष्टांत **"भापू बाई और अन्य विरुद्ध अंतर सिंह और अन्य 2006 ए.सी.जे. 2556 एम.पी."** के अनुसार जहॉ खण्डन में कोई साक्ष्य अनावेदक पक्ष की ओर से साबित न हो वहॉ दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जाएगा।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 व 02 प्रारंभ से एकपक्षीय रहे हैं तथा अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से भी खंडन में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अत : ऐसी स्थिति में दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित होने से विश्वसनीय पाया जाता है।

(K.K.Mishra)
VI[th]-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

13. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित किया है कि दुर्घटना दिनांक 16.01.2022 को दिन करीब 03:30 बजे ग्राम भारतपुर हाथीखदार के बीच थाना चरगवां में अनावेदक क0–1 ने अनावेदक क0–2 के स्वामित्व के वाहन कार कमांक–MP20/CH-6304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को उपहति कारित हुयी, तद्नुसार वादप्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से **''प्रमाणित''** के रूप में अंकित किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

14. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में आवेदक नारायण पटेल (आ.सा.–01) अपने मुख्य परीक्षण में यह बताता है कि दुर्घटना में उसे दाहिने कंधे व दाहिने घुटने में चोटे आई तथा पुरूषोत्तम को भी हल्की चोटें आई थीं। उसके साथी पुरूषोत्तम ने से इलाज के लिए महाकौशल अस्पताल जबलपुर में ले जाकर भर्ती कराया था। वह अस्पताल में करीब 10–12 दिन भर्ती था, जहॉ उसके दाहिने कंधे का ऑपरेशन कर उसमें प्लेट डाली गई थी। आवेदक के द्वारा स्वयं को स्थायी विकलांगता आने के संबंध में स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 पेश किया है, जिसका अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उक्त प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया प्रमाण–पत्र है, जिसमें आवेदक को Locomotor Disability आना लेख है। प्रदर्श पी.–49 की रिपोर्ट में यह भी लेख है कि The diagnosis in his case is # CLAVICLE (R) WITH STIFF (R) CLAVICLE (R) WASTING OF (R) U.L.। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक नारायण सिंह पटेल को One

Arm (O.A.) पर अस्थिभंग होने से 30 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आयी है। उक्त प्रमाण–पत्र में आवेदक नारायण सिंह पटेल को संपूर्ण शरीर के सापेक्ष कितने प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आयी है, इस संबंध में लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में आवेदक को आयी उपहति को देखते हुये अधिकरण के मत में पूरे शरीर के सापेक्ष आवेदक को 07 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आना दर्शित होता है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना दिनांक को आयी उपहतियों के परिणामस्वरूप शरीर पर स्थायी विकलांगता होना दर्शित किया गया है।

15. अनावेदक क्रमांक–03 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आवेदक के द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करने के लिये चिकित्सक या वैज्ञानिक रिपोर्ट का परीक्षण नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को स्थायी विकलांगता होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क के संबंध में प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि आवेदक के द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। आवेदक के द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 को प्रमाणित करने के लिये किसी चिकित्सक साक्षी का कथन अधिकरण के समक्ष कराया है परंतु उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य चिकित्सकीय दस्तोवजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी उपहतियों के कारण इलाज उपरांत उसे घोर उपहतियां पायी गयी हैं, जिनके संबंध में अभिलेख पर मेडिकल दस्तावेज मौजूद हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑनलाईन प्रमाण–पत्र है जो ऑनलाईन भी उपलब्ध है और उक्त प्रमाण–पत्र विधिवत् जारी किया जाना

दर्शित होता है। आवेदक के द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 को प्रमाणित करने के लिये उसे जारी करने वाले चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया है, जिसके संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 04.01.2018 के अनुरूप प्रदर्श पी.–49 जारी किया गया है, जिस कारण से उक्त विकलांगता प्रमाण–पत्र को बिना चिकित्सक को परीक्षित कराये भी साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायदृष्टांत **बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य लाईव लॉ 2021 एस.सी. 662** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा आहत का परीक्षण किया गया है, ऐसी दशा में ऐसे विकलांगता प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर की औपचारिक साक्ष्य किया जाना आवश्यक नहीं है। इस न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश निम्नानुसार है :–

> As far as the aspect of the issuance of certificate on disability of victims is concerned, it is reiterated that the guidelines laid down by this Court in Raj Kumar V. Ajay Kumar and Anr (2011) 1 SCC 343 mandatorily must be followed by the MACTs, in respect of loss of income due to injury/disablement. The District Medical Board is also directed to follow the guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India vide Gazette Notification S. No. 61, dated 05.01.2018, for issuance of disability Certificate in order to bring Pan India

uniformity. The consequence is that the MACT would ascertain that permanent disability certificate issued by the Disrtict Medical Board or body authorized by it is in accordance with the Gazette Notification alone. Once the certificate is issued in this manner, the same can be marked for purposes of being taken into consideration as evidence without the necessity of summoning the concerned witness to give formal proof of the documents unless there is some reason for suspicion on the document.

16. प्रस्तुत प्रकरण में प्रदर्श पी.–49 के आधार पर आवेदक नारायण सिंह पटेल को स्थायी विकलांगता होना दर्शित होता है। आवेदक को 30 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आना दर्शित होती है तथा उसके कार्य एवं आचरण को दृष्टिगत रखते हुये न्याय दृष्टांत **राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार एवं अन्य, '2011' 1 एस.सी.सी. 343** पर विचार करते हुये पूरे शरीर के सापेक्ष **07 प्रतिशत** की स्थायी विकलांगता आना दर्शित होती है, तद्नुसार उक्त वाद प्रश्न का निराकरण किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 03 के निष्कर्ष एवं उसके आधार

17. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी को स्वयं अपनी साक्ष्य से यह दर्शित करना होता है कि अनावेदक के द्वारा दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की मूलभूत शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाया जा रहा था। **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध कांति देवी ए.आई.आर. 2005 (एस.सी.) 2835** में यह अवधारित

किया गया है कि ''बीमा कंपनी पर यह तथ्य प्रमाणित करने का भार होता है कि घटना के समय प्रश्नगत् वाहन वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति के बगैर बीमा पॉलिसी की सारभूत शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था।'' प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने के लिये कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः उक्त वाद प्रश्न क्रमांक 03 प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तद्नुसार उसका निष्कर्ष **''अप्रमाणित''** के रूप में अंकित किया जावे।

वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष एवं उसके आधार

18. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में पूर्व विश्लेषण के अनुसार आवेदक के द्वारा अधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित किया है कि दुर्घटना दिनांक 16.01. 2022 को दिन करीब 03:30 बजे ग्राम भारतपुर हाथीखदार के बीच थाना चरगवां में अनावेदक क्र0–1 ने अनावेदक क्र0–2 के स्वामित्व के वाहन कार क्रमांक–MP20/CH-6304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को स्थायी विकलांगता कारित हुयी। प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी के यहां बीमित होना स्वीकृत है तथा अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लघंन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाया जाना प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक नारायण सिंह पटैल को दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी उपहतियों के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 से संयुक्तः या पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसका प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी का होगा।

19. आवेदक नारायण सिंह पटेल को दुर्घटना के परिणामस्वरूप शरीर पर स्थायी विकलांगता आयी है, जिस कारण से क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के लिये आहत की दुर्घटना दिनांक को आयु और आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन–पत्र में दुर्घटना के समय अपनी आयु 43 वर्ष होना लेख किया है। अधिकरण के समक्ष मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा अपनी आयु के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में वह यह कथन करता है कि उसकी जन्मतिथि दिनांक 17.05. 1973 है। आवेदक के द्वारा अपनी आयु के संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र आदि पेश नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 में उसकी जन्मतिथि 01.01.1975 लेख है, जिसके अनुसार दुर्घटना दिनांक 16.01.2022 को आवेदक की आयु 47 वर्ष 15 दिन की होती है। स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी.–49 में जन्मतिथि असत्य लेख कराये जाने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी की ओर से कोई आक्षेप नहीं उठाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त क्लेम प्रकरण के निराकरण के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–49 के आधार पर आवेदक नारायण सिंह पटेल की आयु **47 वर्ष** होना स्वीकार की जाती है।

20. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन–पत्र में दुर्घटना के पूर्व राजमिस्त्री का कार्य करके प्रतिमाह 9,000/–रुपये की आय अर्जित करना लेख किया है। अधिकरण के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 3 में साक्षी ने यह कथन किया है कि वह घटना के पूर्व राजमिस्त्री का कार्य करके प्रतिमाह करीब 10 हजार रूपये की आय प्राप्त करता था। आवेदक के द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई

विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर यह स्वीकार किया जा सके कि वह राजमिस्त्री का कार्य करके 9,000/—रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित कर लेता था। इस प्रकार अभिलेख पर आवेदक की निश्चित आय स्वीकार किये जाने हेतु कोई भी आधार मौजूद नहीं है।

21. प्रकरण में अभिलेख पर उपरोक्त आवेदक की एक निश्चित आय निर्धारण किये जाने का कोई आधार अभिलेख पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में **न्यायदृष्टांत किरण देवी विरुद्ध सुरजीत यादव (2010) 2 एस.सी.सी. 289 एवं रामजीलाल विरुद्ध ओंकारलाल 2004 ए.सी.जे. 238 एम.पी. (डी.बी.)** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति की आमदनी सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं हो पायी है वहां राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की न्यायिक अवेक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत ली जाकर उसके अनुसार मासिक आय अवधारित की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एस.सी.सी. 683** एवं नवीनतम न्यायदृष्टांत **सपना विरुद्ध मांगीलाल 2021 ए.सी.जे. 957 (एम.पी.)** में प्रतिपादित किया गया है कि जहां आहत की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर न हो, वहां दुर्घटना के समय जो न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को दी जाती थी उसे प्रकल्पित आय मानकर प्रतिकर दिलाया जा सकेगा। इस कारण से आवेदक/आहत को दुर्घटना के समय अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना स्वीकार किया जाता है। आवेदक की दुर्घटना वर्ष—2022 में हुई है और वर्ष 2022 में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करके आवेदक/आहत की न्यूनतम 8,800/—रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता होगा। अतः ऐसी

स्थिति में आहत की मासिक आय **8,800/—रुपये** होना प्रमाणित पाया जाता है।

22. पूर्व विश्लेषण के अनुसार उक्त प्रकरण में आवेदक नारायण सिंह पटेल को पूरे शरीर के मान से 07 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आना प्रमाणित पाया गया है। अधिकरण ने उसे अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना स्वीकार किया है। अधिकरण के मत में उक्त आवेदक को शरीर पर आयी स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप उसके आय अर्जन की क्षमता में भी निश्चय ही कमी आयी होगी। आवेदक के कार्य की प्रकृति को देखते हुये और उसे आयी स्थायी विकलांगता को देखते हुये अधिकरण के मत में उसके आय अर्जन में 07 प्रतिशत की कमी आयी होगी।

23. न्यायदृष्टांत **राजकुमार विरुद्ध अजय कुमार (2011) 1 एस.सी.सी. 343** तथा न्यायदृष्टांत **जगदीश विरुद्ध मोहन व अन्य ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 1347** तथा न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य एम.ए.सी.टी. 2017 (4) 137 सु.को.** के मामलों में स्थायी अपंगता के मामले में भी भविष्यवर्ती अभिवृद्धि दिलाया जाना उचित माना गया है। इसी प्रकार **न्यायदृष्टांत लल्लन विरुद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 ए.सी.जे. 2547** में यह धारित किया गया है कि श्रमिक या मजदूरों के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं के मद में क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जानी चाहिए। न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि से स्पष्ट होता है कि आहत स्थायी सेवा एवं फिक्स सेलरी प्राप्त नहीं करता था बल्कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की गई है। वह 47 वर्ष की आयु का है ऐसी स्थिति में आहत भविष्यवर्ती आय की वृद्धि के रूप में 40 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग का

होने पर 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति राशि भी प्राप्त करने का आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी है। आवेदक की कुल स्थापित आय 8,800/–रुपये प्रतिमाह में उसकी आयु 47 वर्ष होने के आधार पर स्थापित आय में 25 प्रतिशत राशि का इजाफा भविष्य की हानि के तौर पर किये जाने पर 2,200/–रुपये प्रतिमाह होती है। इस प्रकार आवेदक की कुल मासिक आय 8800+2,200=11,000/–रुपये एवं वार्षिक आय **1,32,000/–रुपये** होती है।

24. आवेदक नारायण सिंह पटैल को पूर्व विश्लेषण के अनुसार गंभीर उपहति आने से स्थायी अपंगता कारित हुई है और अभिलेख पर संपूर्ण शरीर के मान से आवेदक को 07 प्रतिशत की स्थायी अपंगता कारित होना माना गया है। आवेदक की वार्षिक आय 1,32,000/–रुपये से भविष्य के अर्जन क्षमता की कमी 07 प्रतिशत निकालने पर उसकी भविष्य की अर्जन हानि 9,240/–रुपये प्रतिवर्ष होती है। आवेदक की आयु 47 वर्ष है, ऐसी स्थिति में 46 से 50 वर्ष की उम्र के लिये 13 के गुणांक का प्रयोग होगा। इस प्रकार आवेदक को भविष्य की हानि के रूप 9,240 X 13 = **1,20,120/–रुपये** आवेदक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

25. आवेदक नारायण सिंह पटेल के कथन एवं चिकित्सीय प्रमाण–पत्र से यह स्पष्ट है कि उसे दुर्घटना में अस्थि भंग हुआ है और उसका लंबे समय तक इलाज हुआ है ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि आवेदक कम से कम तीन माह तक चोट के कारण स्वस्थ न होने से अपनी मजदूरी के कार्य पर नहीं जा पाया होगा। अतः वह तीन माह की आय की हानि 8,800X3= **26,400/–रुपये** भी प्राप्त करने का पात्र है। इसके अतिरिक्त शारीरिक पीड़ा एवं वेदना के मद में **25,000/–रुपये,** पौष्टिक आहार के मद में

20,000/—रुपये, परिवहन के मद में आवेदक के निरंतर अस्पताल आने जाने का दृष्टिगत रखते हुए **10,000/—रुपये**, अटेंडर खर्च के मद में **10,000/—रुपये** क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है। न्यायदृष्टांत **बेंसन जार्ज विरुद्ध रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य सिविल अपील कमांक 5040/22 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022** को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को रमणीयता एवं आनंद में कमी (Loss of Amenities & Happiness) के मद में **20,000/—रुपये** दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त मदों में कुल राशि **1,11,400/—रुपये** भी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में आवेदक नारायण सिंह पटेल प्राप्त करने का अधिकारी है।

26. आहत नारायण सिंह पटेल के द्वारा दुर्घटना दिनांक को स्वयं को उपहतियां होने के संबंध में कन्टीन्यूशन शीट प्रदर्श पी—4 व 5, महाकौशल अस्पताल के इलाज संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी—6 लगायत 8, डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी—14, महाकौशल अस्पताल के बिल एवं पर्चे प्रदर्श पी—15 लगायत 48, विक्टोरिया रोगी कल्याण समिति की रसीद प्रदर्श पी—50 अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक के द्वारा अपने इलाज में हुये व्यय के संबंध में महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी—15 व 16 राशि 37,600/—रूपये, श्री लक्ष्मी मेडिकल का बिल प्रदर्श पी—18 राशि 1645/—रूपये, दिशा फ्रैक्चर का बिल प्रदर्श पी—19 राशि 900/—रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी—20 राशि 50/—रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी—22 राशि 1800/—रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी—23 राशि 1800/—रूपये, दिशा मेडिकोज का बिल प्रदर्श पी—25 राशि 1018/—रूपये,

महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–27 राशि 800/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–28 राशि 570/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–30 राशि 340/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–31 राशि 50/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–32 व 34 राशि 800/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–33 राशि 520/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–35 राशि 110/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–36 राशि 360/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–37 राशि 85/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–39 राशि 10/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–40 राशि 190/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–41 राशि 3900/–रूपये, महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–47 राशि 86/–रूपये, विक्टोरिया हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति की रसीद प्रदर्श पी–50 राशि 500/–रूपये अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक अपने इलाज में व्यय हुये उपरोक्त संपूर्ण राशि **53,134/–रुपये** प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा।

27. आवेदक द्वारा प्रस्तुत महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी–21 राशि 14,600/–रूपये, प्रदर्श पी–24 राशि 3000/–रूपये, प्रदर्श पी–26 राशि 20,000/–रूपये एडवांस बिल है, जो कि मूल बिल प्रदर्श पी–15 के संबंध में जमा की गयी राशि से संबंधित है, चूंकि मूल बिल प्रदर्श पी–15 की राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसलिये उक्त बिलों की राशि का पृथक से भुगतान नहीं किया जा रहा है।

28. आवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल प्रदर्श पी–29 किस हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया है, इसका उल्लेख बिल में नहीं है तथा उक्त बिल संपूर्ण बिल

नहीं है, जिससे उक्त बिल की राशि स्पष्ट नहीं हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। महाकौशल हॉस्पिटल का बिल प्रदर्श पी—38, जिसमें की कुल राशि का उल्लेख नहीं है तथा उक्त बिल क्रेडिट मेमो है, इस कारण से उक्त बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

29. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार आवेदक नारायण सिंह पटेल उपरोक्त संपूर्ण मदों में कुल **1,20,120+1,11,400+53,134 = 2,84,654/—रुपये (दो लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन रूपये)** अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 से संयुक्ततः या पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसका प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी का होगा। तदानुसार उक्त वाद प्रश्न का निराकरण किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

<u>सहायता एवं व्यय</u>

30. उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप आवेदक नारायण सिंह पटेल की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन—पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये तथा अनावेदक क्रमांक 03 का प्रथम उत्तरदायित्व मानते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :—

(1) आवेदक, अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 से संयुक्तः एवं पृथकतः कुल क्षतिपूर्ति राशि **2,84,654/—रुपये (दो लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं अर्थात् आवेदक उक्त राशि अनावेदकगण से वसूल कर सकेगा।

(2) प्रकरण में दिलाई गई संपूर्ण राशि पर माननीय उच्चतम

न्यायालय के द्वारा सिविल अपील क्रमांक 2526/2012 इनयात राजा साहब अट्टर विरूद्ध शांतवा निर्णय दिनांक 19.02.2020 में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में आवेदन प्रस्तुति दिनांक 23.06.2022 से संपूर्ण अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अनावेदकगण, आवेदक को अदा करेंगे।

(3) माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक बी/7344/रजि. (आई.टी.)/2025 आदेश दिनांक 08.10.2025 के पालन में अनावेदकगण, क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो, अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया स्टेट बॉर कांउसिल उच्च न्यायालय शाखा जबलपुर के खाता क्रमांक 519302010004486 IFSC Code UBIN0551937 में RTGS/NEFT/ERP DASHBOARD के माध्यम से दो माह के भीतर जमा कर न्यायालय को सूचित करें। आवेदक के द्वारा बैंक पासबुक एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किये गये है। आवेदक के द्वारा 01 माह के अंदर बैक पास बुक एवं आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत किये जाने तथा अधिकरण के खाते में राशि जमा होने पर आदेशानुसार राशि आवेदक के बैंक खाते में RTGS/NEFT/ERP DASHBOARD के माध्यम से सीधे भुगतान की जाये।

(4) आवेदक को यदि पूर्व में अंतरिम अवार्ड की राशि अदा की गई हो तो वह राशि कुल अवार्ड राशि **2,84,654/—रुपये (दो लाख चौरासी हजार छः सौ चौवन रूपये)** में समायोजित की जाये।

(5) प्रतिकर की धनराशि जमा होने पर आवेदक नारायण सिंह पटैल

(K.K.Mishra)
VIth-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)

के ईलाज में व्यय हुयी राशि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि उसके बचत खाता के माध्यम से नगद प्रदाय किये जाये।

(6) यदि आवेदक एक माह के भीतर बैंक पासबुक एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं करता है, तो निर्णय दिनांक से आदेशित ब्याज देय नहीं होगा।

(7) अनावेदकगण अपने वाद व्यय के साथ–साथ आवेदक का वाद व्यय भी वहन करेंगे। व्यय तालिका में अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र के अनुसार या 2,000/–रूपये, जो भी कम हो, जोड़ा जाये

(8) ''व्यय–तालिका बनायी जाये''

(9) BAJAJ ALIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY PRIVATE LTD. petitioner(S) VERSUS UNION OF INDIA & ORS. Live Law 2021 SC 662 एवं गौहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सड़क कार्पोरेशन में दिए गये निर्देशानुसार उभयपक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ई–मेल आई.डी. के माध्यम से डिजीटली हस्ताक्षरित अधिनिर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

अधिनिर्णय, खुले न्यायालय में दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित।

मेरे निर्देश पर टंकित।

KISHOR KUMAR MISHRA
Digitally signed by KISHOR KUMAR MISHRA
Date: 2026.07.29 17:44:08 +0530

(के0के0 मिश्रा)
सदस्य, षष्टम अति.मो.दु.दावा
अधिकरण, जबलपुर

(के0के0 मिश्रा)
सदस्य, षष्टम अति.मो.दु.दावा
अधिकरण, जबलपुर

(K.K.Mishra)
VI[th]-Addl. Member Motor Accident Claim
Jabalpur (M.P.)